

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क० 467/587/2017/ब-1/चार,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/04/2018

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय,भोपाल ।

2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष के अंतर्गत त्रैमासिक कार्य योजना एवं बजट आवंटन ।

संदर्भ:- इस विभाग का पत्र क्रमांक 445/587/17/ब-1/चार
भोपाल, दिनांक 09/04/2018 ।

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। संदर्भित पत्र द्वारा
त्रैमासिक आहरण व्यवस्था के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये
थे।

2. उक्त निर्देशों के साथ-साथ यह भी निर्देश जारी किया जाता है कि
वित्तीय वर्ष के किसी एक माह में उपलब्ध बजट के 10 प्रतिशत से
अधिक राशि का व्यय नहीं किया जा सकेगा।
3. कण्डिका 2 में वर्णित निर्देश केन्द्र सहायित (केन्द्र क्षेत्रीय एवं केन्द्र
प्रायोजित) योजनाओं पर लागू नहीं होंगे।
4. संदर्भित पत्र के शेष निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(20/04/18)

(अजीत कुमार)

संचालक बजट एवं सचिव
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल ।
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
 3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
 4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
 5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
 6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर / ग्वालियर ।
 8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी / आडिट) 1/2 म.प्र.ग्वालियर / भोपाल ।
 9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
 10. आयुक्त, जनसम्पर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
 11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
 12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
 13. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
 14. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग